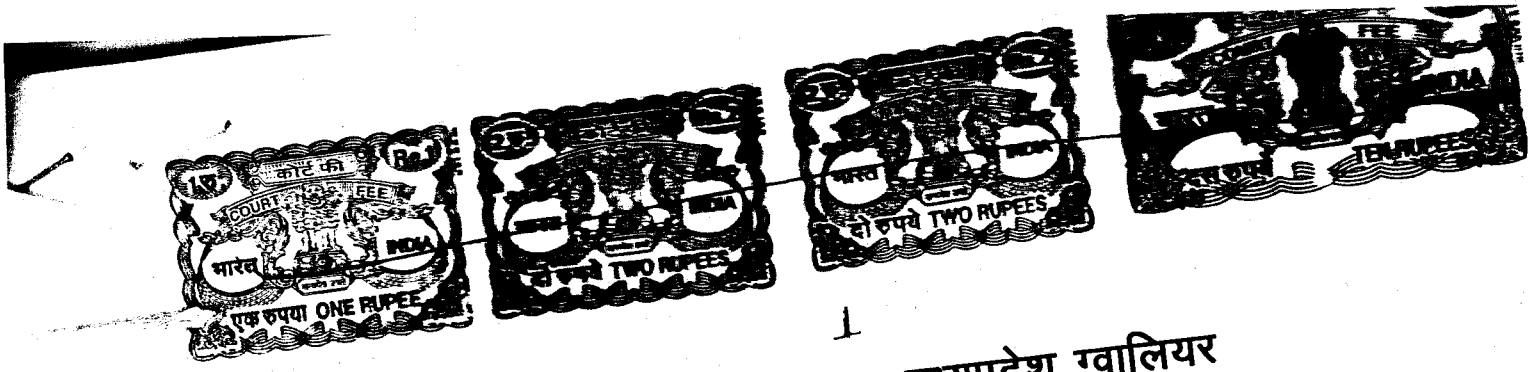

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 रिवीजन R 2720 I/14

1. आरामबाई पत्नी श्री लखपत सिंह आयु 40 साल व्यवसाय गृहकार्य
2. आधारबाई पत्नी श्री रमेश सिंह आयु 38 साल व्यवसाय गृहिणी
3. रामकन्या बाई पत्नी सौदान सिंह आयु 32 साल , व्यवसाय गृहिणी

निवासीगण – ग्राम सरवर पुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदकगण

श्री विनोद श्रीवास्तव, अधि. द्वारा आज दि. 25.8.14 को प्रस्तुत

25.8.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. मुकेश पुत्र घनश्याम सेन आयु 25 साल
2. सुरेश पुत्र घनश्याम सेन आयु 23 साल निवासीगण ग्राम देवपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
3. शाहिद हुसैन पुत्र तजम्मुल हुसैन आयु 58 साल निवासी मोहल्ला बोहरबाडी सिरांज जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदकगण

राजविहारी गुप्ता ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 56/ अपील/ 2012– 13 में पारित आदेश दिनांक 24.7.2014से परिवेदित होकर।

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

निगरानी प्र.क्रं. 2720/I/2014 जिला विदिशा

14.8.15

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज व्दारा प्रकरण कमांक 56/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक 1 व 2 के अभिभाषक के तर्क सुने । अनावेदक कमांक 3 अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि विचाराधीन निगरानी में मुख्य आधार यह लिया गया है कि ग्राम जैतपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 417/2 रकबा 1.265 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर ग्राम की नामान्तरण पंजी कमांक 14 पर आदेश दिनांक 21.5.2004 पथम केता अनावेदक क-3 का नामान्तरण हुआ। इस केता ने वादग्रस्त भूमि विकय पत्र दिनांक 28.4.10 से आवेदिकाओं को विकय कर दी। तदंपुरांत अनावेदक क-1 व 2 ने नामान्तरण पंजी कमांक 14 पर आदेश दिनांक 21.5.2004 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष दिनांक 30.1.2013 को प्रथम अपील की है जो समय वाह्य होते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-2014 से गलत आधारों पर विलम्ब क्षमा किया गया है।

4/ समयावधि के बिन्दु पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के न्यायालय के प्र0 क0 56/12-13 अपील में अपीलांट्स व्दारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों अनुसार ग्राम पंचायत ने नामान्तरण करते समय अपीलांट्स को कोई सूचना

नहीं दी, उन्हें नामान्तरण की जानकारी तब हुई, जबकि दिनांक 22.12.12 को खसरे की नकल निकलवाई। इसके वाद ग्राम पंचायत से नामान्तरण पंजी की नकल की मांग की, किंन्तु उन्होंने बार-बार संपर्क करने पर नकल नहीं दी। इसलिये जानकारी के दिन से समयावधि में अपील की गई है। रिस्पा0 के इन्हीं तथ्यों पर विश्वास करके अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-14 से अपील प्रस्तुत करने में हुआ लगभग 08 वर्ष 08 माह का विलम्ब क्षमा किया है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने वादग्रस्त भूमि के पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 15 मार्च 2004 की छायाप्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदक क-3 वादग्रस्त भूमि क्रय की, उसके वाद अनावेदक क-3 से आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 28.8.2010 से क्रय की है, जिसके कारण अवधि विधान की धारा-5 में दिये गये तथ्य गलत है।

6/ विचार योग्य बिन्दु है कि जब वादग्रस्त भूमि आवेदकगण ने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 15-3-04 से क्रय की है एंव विक्रय पत्र में मुकेश की आयु 17 वर्ष एंव सुरेश की आयु 14 वर्ष अंकित है अर्थात वर्ष 2004 के वाद यानि 2008 में एंव सुरेश 2011 में 21 वर्ष के होकर वयस्क हो चुके है तब 30.1.2013 को प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता। अन्य कारण यह भी है कि दोनों के पिता लीगल गार्जियन घनश्याम व्दारा विक्रय पत्र संपादित कराया हैं । वादग्रस्त भूमि का प्रथम विक्रय शाहिद हुसैन पुत्र तज्जुमल हुसैन के नाम हुआ है । उसके वाद इस केता ने आवेदकगण के हित में भूमि विक्रय पत्र दिनांक 28.8.2010 से विक्रय की है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त विक्रय पत्रों पर से मौके की स्थिति अनुसार भूमि के कब्जे के आदान-प्रदान होने की जानकारी अनावेदक क-1 व 2 को न हुई हो।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

जिला विदिशा

निगरानी प्र.क्रं. 2720/I/2014

भू राजस्व संहिता 1959(म0प्र0) धारा–47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 – अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता ।

1/ प्रकरण के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि जब वादग्रस्त भूमि दिनांक 15 मार्च 2004 को अनावेदक कमांक 1 व 2 के स्वत्व एंव स्वामित्व सहित अनावेदक कमांक 3 को विकय हो गई, इस विकय पत्र के आधार पर अनावेदक कमांक 1 व 2 के स्वत्व व स्वामित्व अंतरित होने से वादग्रस्त भूमि पर उनका अधिकार नहीं रहा। अनावेदक कमांक 3 ने वादग्रस्त भूमि का अंतरण आवेदकगण के हित में पंजीयत विकय पत्र दिनांक 28.8.2010 से कर दिया, तब क्या अनावेदक कमांक 1 व 2 के वादग्रस्त भूमि से हित जुड़े माने जाकर नामांत्रण आदेश के विरूद्ध अपील/ निगरानी सुनवाई योग्य है ?

1. **भू राजस्व संहिता 1959(म0प्र0) धारा–109 , 110 – नामान्तरण कार्यवाही – अन्य व्यक्ति का विवादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार नहीं रहा – वह आवश्यक पक्षकार नहीं है – उसे आपत्ति प्रस्तुत करने या अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।**
2. **भू राजस्व संहिता 1959(म0प्र0) धारा–109 , 110 – पंजीकृत विकय पत्र की बैधता–अवैधता के सम्बन्ध में जांच करने एंव उसे शून्य घोषित करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं हैं।**

2/ उपरोक्त कारणों से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज ने अनावेदक कमांक–1 व 2 व्दारा प्रस्तुत अपील में हुये अतिविलम्ब को गलत आधारों पर क्षमा किया है एंव अनावेदक कमांक 1 व 2 के अहितबद्ध होते हुये भी हितबद्ध पक्षकार मानने में भूल की है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 56/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः ग्राम जैतपुर की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 14 पर आदेश दिनांक 21.5.2004 से किया गया नामांत्रण स्थिर रहता है।

सदस्य